



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन; सी.बी.डी सहित कॉम्प्लेक्स कार्यालय
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली -110032

सं. सी-20015/302/प्रशा.(भर्ती)/अनुकंपा नियुक्ति/ 2010/ खंड VI/ 456 दिनांक: 03.02.2021

कार्यालय आदेश

अनुकंपा नियुक्ति योजना का प्रयोजन उन सरकारी कर्मचारियों, जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो अथवा वे चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त हुए हों, जिससे कि उनका परिवार अभावग्रस्त हो गया हो और उनके पास आजीविका का कोई साधन न हो तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत पहुंचाने एवं आपातकालीन परिस्थिति से उबरने में सहायता प्रदान करने हेतु आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है।

2. इस योजना के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा अनुदेशों की समय-समय पर समीक्षा/संशोधन/सरलीकरण किया गया है ताकि प्रणाली अंततः और अधिक पारदर्शी, दक्ष और एकसमान प्रकृति की हो।

3. मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के प्रयोजन की पूर्ति और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु, समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संदर्भ में उल्लिखित विभिन्न गुणों के आधार पर आवेदक को अंक आबंटित करके सुविधाजनक रूप से मामले की योग्यता का विनिश्चय किया जा सकता है। तदनुसार, बोर्ड ने 100 अंक मान पर आधारित विभिन्न गुणों के आबंटन की प्रणाली तैयार की है।

4. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु ऐसे आवेदनों को प्रोसेस करने हेतु प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत, निम्न प्रोफार्मे बनाए गए हैं और इनको इसके साथ संलग्न किया गया है:-

क्रम सं.	प्रोफॉर्मा	शीर्षक
1.	भाग-क	सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने/अविधिमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त होने पर उनके आश्रित को रोजगार से संबंधित प्रोफार्मा (नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा भरा जाए)
2.	भाग-ख	यह प्रोफार्मा उस कार्यालय द्वारा भरा जाए जिसमें रोजगार प्रस्तावित है।
3.	भाग-ग	अनुकंपा नियुक्ति हेतु 100 अंक मान पर सापेक्ष गुण अंक निर्धारण।

ZAMU



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GoI)
'Parivesh Bhawan', C.B.D.-Cum-Office Complex
East Arjun Nagar, Delhi-110032

No.C-20015/302/Admn(R)/Comp.Apptt./2010/Vol.V/

Date: 03.02.2021

Office Order

The object of the Compassionate appointment scheme is to grant appointment on compassionate ground to a dependent family member of a Government servant dying in harness or who is retired on medical grounds, thereby leaving his family in penury and without any means of livelihood and to relieve the family of the Government servant concerned from financial destitution and to help it get over the emergency.

2. Keeping in view the objective of the scheme, the existing instructions of DoP&T relating to compassionate appointment have time and again been reviewed/ modified/ simplified so that the system finally derived at shall be more transparent, efficient and uniform in nature.

3. The existing position has been reviewed and it has been decided by the competent authority that to achieve the objective of the scheme of compassionate appointment and to ensure complete transparency, merits of the cases can be conveniently decided by allocating points to the applicants based on various attributes indicated in the reference of DoP&T from time to time. Accordingly, the Board has worked out a system of allocation of points for various attributes based on a hundred point scale.


4. Keeping in view the administrative requirement in processing such applications for appointment on compassionate ground the following proformas have been made which are enclosed herewith.

S. No.	Proforma	Title
1.	Part A	Proforma regarding employment of dependents of employees who died while in service / retired on invalid pension (To be filled by candidate/ applicant for appointment)
2.	Part B	Proforma to be filled by the office in which employment is proposed.
3.	Part C	Relative Merit Points Assessment on a 100-point scale for compassionate appointment.

5. यह भार प्रणाली न केवल पूरी विधि की निष्पक्षता प्रदान करती है, बल्कि चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करती है। सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे अब से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए इस भार अंक प्रणाली का सख्ती से पालन करें।

6. सभी क्षेत्रीय निदेशालयों और संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मे में मामले को अग्रसारित करें।

यह अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


03/02/2021
(अशोक कश्यप)

प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती)

प्रतिलिपि को :

1. अध्यक्ष, अनुकंपा नियुक्ति समिति
2. सभी क्षेत्रीय निदेशालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परियोजना कार्यालय
- ✓ 3. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाग प्रमुख -कृपया इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. कार्यालय आदेश फाइल।

5. The system of weightage not only awards objectivity to the entire method but also ensures complete transparency and uniformity in the selection process. Henceforth, all concerned are advised to strictly follow this weightage points system keeping in view the instructions issued by the DoP&T from time to time for assessing comparative merit of the applicants for compassionate appointment.

6. Henceforth, all Regional Directorates and concerned officers are advised to forward cases in attached prescribed proforma for assessing comparative merit of the applicants for compassionate appointment.

This issues with the approval of the Chairman, Central Pollution Control Board.


(Ashok Kashyap) 03/02/2021
Administrative Officer (R)

Copy to:

1. Chairman, Compassionate Appointment Committee
2. All Regional Directorates & Project Office of CPCB
3. Divisional Head IT – with request to upload it on CPCB website.
4. Office Order file.

100 अंक मान के पर आधार पर विभिन्न गुणों हेतु अंक आबंटन हेतु तालिका

1. मृतक का वेतन मैट्रिक्स में स्तर

(20 अंक)

क्रम सं.	वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में प्रस्तावित स्तर	अंक
1	1, 2, 3	20
2	4, 5	18
3	6, 7, 8	16
4	9, 10	14
5	11	12
6	12	10
7	13, 13 - ए	08
8	14 एवं उससे अधिक	06

2. सेवांत हितलाभ अर्थात सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत परिवार को प्राप्त एकमुश्त राशि (अर्थात डीसीआर उपदान, सीपीएफ/ पीपीएफ ए लेखा शेष राशि, एलआईसी/ पीएलआई, सीजीआईआईजीएस, छुट्टी का नकदीकरण आदि)/ एनपीएस के अधीन एकमुश्त प्राप्त राशि आदि।

(10 अंक)

सेवांत हितलाभ			
दिनांक 01.01.2016 के पश्चात मृत्यु के मामलों हेतु	दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 के मध्य मृत्यु के मामलों हेतु	दिनांक 01.01.2006 से पूर्व मृत्यु के मामलों हेतु	भार अंक
10,00,000 तक	4,50,000 तक	1,00,000 तक	10
10,00,001-11,87,500	4,50,001-5,25,000	1,00,001-1,20,000	09
11,87,501-13,75,000	5,25,001-6,00,000	1,20,001-1,40,000	08
13,75,001-15,62,500	6,00,001-6,75,000	1,40,001-1,60,000	07
15,62,501-17,50,000	6,75,001-7,50,000	1,60,001-1,80,000	06
17,50,001-19,37,500	7,50,001-8,25,000	1,80,001-2,00,000	05
19,37 501-21,25,000	8,25,001-9,00,000	2,00,001-2,20,000	04
21,25,001-23,12,500	9,00,001-9,75,000	2,20,001-2,40,000	03
23,12,501-25,00,000	9,75,001-10,50,000	2,40,001-2,60,000	02
25,00,001-26,87,500	10,50,001-11,25,000	2,60,001-3,00,000	01
26,87,501 एवं इससे अधिक	11,25,001 एवं इससे अधिक	3,00,001 एवं इससे अधिक	00

3. अर्जन करने वाले सदस्यों की वार्षिक आय एवं संपत्ति से प्राप्त आय

(10 अंक)

क्रम सं.	वार्षिक आय	भार अंक
1	शून्य	10
2	1-1,05,000	08
3	1,05,001-1,35,000	06
4	1,35,001-1,65,000	04
5	1,65,001-1,95,000	02
6	1,95,001 एवं इससे अधिक	00

TABLE FOR ALLOCATION OF POINTS TO VARIOUS ATTRIBUTES BASED ON A 100 POINT-SCALE

1. Level in the Pay Matrix of Deceased

(20 points)

Sl.No.	Proposed Level in the Pay Matrix or equivalent	Points
1	1,2,3	20
2	4,5	18
3	6,7,8	16
4	9,10	14
5	11	12
6	12	10
7	13,13-A	08
8	14 & Above	06

2. Terminal benefits i.e Lump sum amount received by the family on death of Govt. Servant (i.e DCR Gratuity, CPF/ PPF A A/c Balance, LIC / PLI, CGEIGS, Leave encashment Etc)/ Lump sum amount under NPS etc.

(10 points)

Terminal benefits			
For post 01.01.2016 death cases	For death cases between 01.01.2006 to 31.12.2015	For pre 01.01.2006 death cases	Weightage Points
Upto 10,00,000	Upto 4,50,000	Upto 1,00,000	10
10,00,001-11,87,500	4,50,001-5,25,000	1,00,001-1,20,000	09
11,87,501-13,75,000	5,25,001-6,00,000	1,20,001-1,40,000	08
13,75,001-15,62,500	6,00,001-6,75,000	1,40,001-1,60,000	07
15,62,501-17,50,000	6,75,001-7,50,000	1,60,001-1,80,000	06
17,50,001-19,37,500	7,50,001-8,25,000	1,80,001-2,00,000	05
19,37,501-21,25,000	8,25,001-9,00,000	2,00,001-2,20,000	04
21,25,001-23,12,500	9,00,001-9,75,000	2,20,001-2,40,000	03
23,12,501-25,00,000	9,75,001-10,50,000	2,40,001-2,60,000	02
25,00,001-26,87,500	10,50,001-11,25,000	2,60,001-3,00,000	01
26,87,501 & Above	11,25,001 & Above	3,00,001 & Above	00

3. Annual Income of earning members & Income from Property

(10 points)

Sl.No.	Annual Income	Weightage Points
1	Nil	10
2	1-1,05,000	08
3	1,05,001-1,35,000	06
4	1,35,001-1,65,000	04
5	1,65,001-1,95,000	02
6	1,95,001 & Above	00

4. चल/ अचल संपत्ति**(10 अंक)**

क्रम सं.	प्रस्तावित स्लैब	भार अंक
1	शून्य	10
2	5,00,000 तक	08
3	5,00,001-10,00,000	06
4	10,00,001-15,00,000	04
5	15,00,001-20,00,000	02
6	20,00,001 एवं इससे अधिक	01

5. मृतक का शेष सेवाकाल**(15 अंक)**

मृतक का शेष सेवाकाल	भार अंक	मृतक का शेष सेवाकाल	भार अंक	मृतक का शेष सेवाकाल	भार अंक
02 वर्ष तक	01	12 वर्ष तक	06	22 वर्ष तक	11
04 वर्ष तक	02	14 वर्ष तक	07	24 वर्ष तक	12
06 वर्ष तक	03	16 वर्ष तक	08	26 वर्ष तक	13
08 वर्ष तक	04	18 वर्ष तक	09	28 वर्ष तक	14
10वर्ष तक	05	20 वर्ष तक	10	30 वर्ष एवं इससे अधिक	15

6. आश्रित अर्थात्, केवल माता अथवा पिता, विवाहिती (गृहणी)**(10 अंक)**

क्रम सं.	आश्रितों की संख्या	भार अंक
1	एकल अथवा दोनों माता -पिता	05
2	पत्नी	05

7. अविवाहित/ तलाकशुदा आश्रित पुत्रियाँ**(10 अंक)**

क्रम सं.	अविवाहित/ तलाकशुदा पुत्रियों की संख्या	भार अंक
1	01 (अविवाहित/ तलाकशुदा पुत्री)	05
2	02 एवं इससे अधिक (अविवाहित/ तलाकशुदा पुत्रियाँ)	10

8. आश्रित नाबालिग संतान**(10 अंक)**

क्रम सं.	नाबालिग संतानों की संख्या	भार अंक
1	01	05
2	02 एवं इससे अधिक	10

4. Movable /Immovable Property

(10 points)

Sl.No.	Proposed slab	Weightage Points
1	Nil	10
2	Upto 5,00, 000	08
3	5,00,001- 10,00,000	06
4	10,00,001-15,00,000	04
5	15,00,001-20,00,000	02
6	20,00,001 & Above	01

5. Left over service of Deceased

(15 points)

Left over service of deceased	Weightage Points	Left over service of deceased	Weightage Points	Left over service of deceased	Weightage Points
Upto 02 years	01	Upto 12 years	06	Upto 22 years	11
Upto 04 years	02	Upto 14 years	07	Upto 24 years	12
Upto 06 years	03	Upto 16 years	08	Upto 26 years	13
Upto 08 years	04	Upto 18 years	09	Upto 28 years	14
Upto 10 years	05	Upto 20 years	10	30 years & Above	15

6. Dependents i.e. Mother or Father, Spouse (House Wife) only

(10 points)

Sl. No.	No. of Dependents	Weightage Points
1	Single or Both Parents	05
2	Wife	05

7. Dependent Unmarried/Divorced Daughters

(10 points)

Sl.No.	No. of Unmarried/Divorced daughters	Weightage Points
1	01 (Unmarried /Divorced daughter)	05
2	02 & Above (Unmarried/Divorced daughters)	10

8. Dependent Minor Children

(10 points)

Sl.No.	No. of Minor Children	Weightage Points
1	01	05
2	02 & Above	10

9. अविवाहित वयस्क पुत्र (25 वर्ष की आयु तक) और आश्रित वयस्क पुत्र, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग (किसी आयु सीमा के बिना)

(5 अंक)

क्रम सं.	अविवाहित / आश्रित बालिग पुत्रों की सं.	भार अंक
1	01	03
2	02 एवं इससे अधिक	05

* उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे मामलें जहां मृतक कर्मचारी की पत्नी स्वयं की अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करती है, तो उसको कृपांक के रूप में 15 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यह इस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप होगा कि विधवा को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।

* केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पूर्व प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले ही विचार किए जा चुके मामलों को खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

9. Unmarried Major Son (upto 25 years of age) and Dependent major son i.e. Physically & mentally challenged (without age limit)

(05 points)

Sl. No.	No. of Unmarried Major Son/ Dependent Major son	Weightage Points
1	01	03
2	02 & Above	05

* In addition to the above, cases where the wife of deceased official has applied for compassionate appointment for herself, she shall get 15 additional points as grace points. She will be in line with the general principal that the widow needs to be given preference for compassionate appointment.

* The cases already considered by the CPCB for compassionate appointment as per the previous practices followed need not to be open.

सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु/ अविधिमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त होने पर मृतक के आश्रित को रोजगार देने से संबंधित प्रोफॉर्मा।

भाग- क

(नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी/ आवेदक द्वारा भरा जाए)

I.	(क) सरकारी कर्मचारी का नाम (मृत / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)	
	(ख) सरकारी कर्मचारी का पदनाम	
	(ग) क्या वह एमटीएस (समूह 'डी') हैं अथवा नहीं?	
	(घ) सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि	
	(ङ) मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि	
	(च) दी गई सेवाओं की कुल अवधि	
	(छ) यदि वह स्थाई अथवा अस्थाई है	
	(ज) यदि वह अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखता/ रखती है।	
II.	(क) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का नाम	
	(ख) सरकारी कर्मचारी के साथ उसका संबंध	
	(ग) जन्म तिथि	
	(घ) शैक्षणिक योग्यता	
	(ङ) यदि परिवार के किसी आश्रित सदस्य को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति मिली है।	

PROFORMA REGARDING EMPLOYMENT OF DEPENDENTS OF GOVERNMENT
SERVANTS DYING WHILE IN SERVICE/ RETIRED ON INVALID PENSION

PART-A

(TO BE FILLED BY THE CANDIDATE/ APPLICANT FOR APPOINTMENT)

I.	(a) Name of the Government servant (Deceased / retired on medical grounds).	
	(b) Designation of the Government Servant.	
	(c) Whether it is MTS (erstwhile Group 'D') or not?	
	(d) Date of birth of the Government Servant.	
	(e) Date of death / retirement on medical grounds.	
	(f) Total length of Service rendered.	
	(g) Whether permanent or temporary.	
	(h) Whether belonging to SC/ ST/ OBC.	
II.	(a) Name of the candidate for appointment.	
	(b) His/ her relationship with the Government servant.	
	(c) Date of birth.	
	(d) Educational Qualifications.	
	(e) Whether any other dependent family member has been appointed on compassionate grounds.	

III.	कुल शेष संपत्ति का ब्यौरा जिसमें शामिल है	
	(क) एनपीएस के अंतर्गत एक मुश्त राशि	
	(ख) डी.सी.आर. उपदान	
	(ग) सीपीएफ शेष	
	(घ) जीवन बीमा पॉलिसी (पोस्टल जीवन बीमा सहित)	
	(ङ) चल और अचल संपत्ति और उसके माध्यम से परिवार के द्वारा अर्जित की गई वार्षिक आय	
	(च) सी.जी.ई. बीमा राशि	
	(छ) छुट्टी का नकदीकरण	
	(ज) अन्य कोई संपत्ति	
	कुल:	
IV	देयताओं का संक्षिप्त ब्यौरा, यदि कोई हो	

III.	Particulars of total assets left including amount of	
	(a) Lump sum amount under NPS	
	(b) D.C. R. Gratuity	
	(c) CPF Balance	
	(d) Life Insurance Policies (including Postal Life Insurance)	
	(e) Movable and immovable properties and annual income earned therefrom by the family.	
	(f) C.G.E. Insurance amount	
	(g) Encashment of leave	
	(h) Any other assets.	
	Total:	
(IV)	Brief particular of liabilities if any	

V	सरकारी कर्मचारी के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण (यदि कोई कार्यरत है, उनकी आय और यदि वह सरकारी कर्मचारी के साथ अथवा अलग रह रहे हैं।)				
क्रम सं	नाम	सरकारी कर्मचारी से संबंध	आयु	पता	कार्यरत और नहीं (यदि कार्यरत है तो नियोजन और परिलब्धियों का विवरण)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

VI. घोषणा पत्र/ उपक्रम

1. मैं यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्य, मेरी जानकारी में सही हैं। यदि भविष्य तिथि में मेरे द्वारा बताए गए उपर्युक्त तथ्य गलत अथवा झूठे पाए जाते हैं, तो मेरी सेवा को समाप्त कर दिया जाए।

2. मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं इस प्रपत्र के भाग-ए के 1(ए) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी/ सशस्त्र बलों पर आश्रित अन्य परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से भरण-पोषण करूंगा/ करूंगी और यदि किसी भी समय यह साबित होता है, कि मेरे द्वारा सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा मेरे द्वारा पूर्ण रूप से उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो मेरी सेवा को समाप्त कर दिया जाए।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

V. Particulars of all dependent family Members of the Government servant (if some are employed, their income and whether they are living together Or separately)

S. No	Name(s)	Relationship with Govt. servant	Age	Address	Employed or not (if employed particulars of employment and emoluments)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

VI. DECLARATION/UNDERTAKING

1. I hereby declare that the facts given by me above are, to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.

2. I hereby also declare that I shall maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant/ member of the Armed Forces mentioned against I (a) of Part-A of this form and in case it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated.

Date:

Signature of the candidate

Name: _____

Address: _____

भाग-ख

(जिस कार्यालय में रोजगार प्रस्तावित किया गया है उस कार्यालय के द्वारा भरा जाए।)

(I)	(क) नियुक्ति हेतु आवेदक का नाम	
	(ख) सरकारी कर्मचारी से उसका संबंध	
	(ग) आयु (जन्म की तिथि) शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि है, तो।	
	(घ) प्रस्तावित रोजगार का पद (समूह ग)	
	(ङ) क्या अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत 5% की सीमा में उस पद हेतु कोई रिक्ति है।	
	(च) क्या यह पद केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल है अथवा नहीं।	
	(छ) क्या प्रासंगिक भर्ती नियम सीधी भर्ती हेतु व्यवस्था करते हैं।	
	(ज) क्या अभ्यर्थी पद के भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है।	
	(झ) रोजगार कार्यालय/ कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया के अधित्याग के अलावा, कौन सी अन्य छूट दी जाएगी।	
(II)	यदि भाग-क में उल्लिखित तथ्यों को कार्यालय के द्वारा सत्यापित किया गया है, यदि हाँ, तो अभिलेख का उल्लेख करें।	
(iii)	यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक समय पहले हो गई हो, तो यह मामला पहले क्यों नहीं प्रायोजित किया गया था।	
(IV)	मंत्रालय/मुख्यालय/विभाग/कार्यालय में विभाग प्रमुख की व्यक्तिगत अनुशंसा (हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर/ सील सहित)	

PART-B

(TO BE FILLED IN BY OFFICE IN WHICH EMPLOYMENT IS PROPOSED)

(I)	(a) Name of the candidate for Appointment	
	(b) His/ Her relationship with the Government servant.	
	(c) Age (date of birth), educational qualifications and experience. If any.	
	(d) Post (Group C) which employment is Proposed	
	(e) Whether there is vacancy in that post within the ceiling of 5% prescribed under the scheme of compassionate appointment.	
	(f) Whether the post to be filled is included in the Central Secretariat Clerical Service or not.	
	(g) Whether the relevant Recruitment Rules provide for direct recruitment	
	(h) Whether the candidate fulfils the requirements of the Recruitment Rules for the post.	
	(i) Apart from waiver of Employment Exchange/ Staff Selection Commission procedure what other relaxation are to be given.	
(II)	Whether the facts mentioned in Part-A have been verified by the office and if so, indicate the records.	
(III)	If the Government servant died/ retired on medical grounds more than 5 years back, why the case was not sponsored earlier.	
(IV)	Personal recommendation of the Head of the Department in the Ministry/ Department / Office. (With his signature and office Stamp/ seal)	

अनुकंपा नियुक्ति हेतु 100 अंक मान पर सापेक्ष गुण अंक निर्धारण।

भाग-ग

क्रम सं.	मानदंड	मानदंड हेतु निर्धारित अंक	आवेदक द्वारा प्राप्तांक
1	मृतक का वेतन मैट्रिक्स में स्तर	20	
2	सेवांत हितलाभ (डीसीआरजी, सीपीएफ/ पीपीएफ, एलआईसी/ पीएलआई छुट्टियों का नकदीकरण आदि) एनपीएस के अंतर्गत एक मुश्त राशि आदि	10	
3	कार्यरत सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय	10	
4	चल/ अचल संपत्ति	10	
5	मृतक का शेष सेवाकाल	15	
6	आश्रित सदस्यों की संख्या अर्थात, केवल माता अथवा पिता, विवाहिती (गृहणी)	10	
7	आश्रित अविवाहित/ तलाकशुदा पुत्रियाँ	10	
8	आश्रित नाबालिक संतान	10	
9	अविवाहित वयस्क पुत्र (25 वर्ष की आयु तक) और आश्रित वयस्क पुत्र अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकलांग (किसी आयु सीमा के बिना)	05	
	कुल	100	

RELATIVE MERIT POINTS ASSESSMENT ON A 100 POINT SCALE FOR
COMPASSIONATE APPOINTMENT

PART - C

SI.NO.	PARAMETER	POINTS ALLOTTED TO THE PARAMETER	POINTS SCORED BY THE CANDIDATE
1	Level in the Pay Matrix of Deceased	20	
2	Terminal Benefits (DCRG, CPF/ PPF, LIC/ PLI, Leave encasement, etc) Lump sum amount under NPS etc	10	
3	Annual income of earning Members and income from property	10	
4	Movable/ Immovable property	10	
5	Left over service of deceased	15	
6	Number of Dependents i.e. Mother or Father, Spouse (House Wife) only	10	
7	Dependent unmarried divorced daughters	10	
8	Dependent Minor Children	10	
9	Unmarried major son (up to 25 years of age) and Dependent major son i.e. physically & mentally challenged (without age limit)	05	
	TOTAL	100	